गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

छात्र परिषद निर्वाचन-2014

<u>निर्वाचन अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण बिंदु</u>

1. मतदान प्रक्रिया का संचालन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अन्तरगत सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा संपन्न किया जायेगा.
2. मतदान स्थल पर उस अध्ययनशाला के ,जहाँ मतदान हो रहा है ,समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी सम्बंधित अधिष्ठाता के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे तथा समय पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संपन्न   करने के बाद ही मतदान स्थल से निर्देश उपरांत जायेंगे.
3. मतदान स्थल पर मतदाताओ के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा.
4. मतदान प्रक्रिया निम्नानुसार संपन्न की जायेगी:

4.1**मतदान अधिकारी क्रमांक एक** द्वारा मतदाता की पहचान को सुनिश्चित किया जायेगा. इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु जारी वैध पहचान पत्र ,पुस्तकालयकार्ड , या सम्बंधित विभाग प्रमुख द्वारा इस हेतु जारी किया गया अस्थायी पहचान पत्र मान्य होगा.

4.2 मतदाता ,**मतदान अधिकारी क्रमांक दो**   के पास उपलब्ध मतदाता सूची में सरल क्रमांक के सामने अपने नाम को देख कर हस्ताक्षर करेंगे .

4.3 **मतदान अधिकारी क्रमांक दो** द्वारा मतदाता को मतपत्र दिया जायेगा .

4.4 गोपनीय मतदान द्वारा मतदाता द्वारा अपना मत दिया जायेगा.

4. 5 **मतदान अधिकारी तीन** यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता मतदान अधिकारी ०२ से प्राप्त करने के बाद मतपत्र को मतपेटी में ही डालें.

5. मतदान के लिए निर्धारित समय पूरा होने तक जो मतदाता मतदान स्थल पर आ जायेंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची वितरित की जायेगी एवं उन्हें ही मतदान की पात्रता होगी.

6. निम्न स्थितियों में कोई मतपत्र अवैध घोषित किया जा सकेगा:

6.1 जिस अध्ययनशाला के प्रतिनिधि के लिए मतपत्र जारी किया गया है उस अध्ययनशाला के निर्धारित प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक की संख्या में मत अंकित करने पर . उदाहरण के लिए किसी संकाय में यदि एक प्रतिनिधि चुना जाना है तो यदि मतपत्र पर दो या अधिक प्रतिनिधियों के नाम के सामने √ अंकित कर दिया गया है तो वह मतपत्र अवैध हो जायेगा.

6.2 मतपत्र में निर्धारित बॉक्स के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया   √ का निशान   ही मान्य होगा .अन्य किसी प्रकार का निशान अंकित करने पर या दो बॉक्स के बीच में अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निशान मतपत्र को अवैध कर देगा .

6.3 मतदान की गोपनीयता बनाये रखना अनियार्य है .मतपत्र को किसी को दिखाना या अन्य किसी प्रकार से उसकी गोपनीयता भंग करना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा.

6.4 मतपत्र पर किसी भी प्रकार का कोई नारा ,शब्द , या पहचान चिन्ह लिखना /लगाना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा एवं मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा.

6.5 मतपत्र को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त करना या उसे फाड़ने की कोशिश करने पर उस मतपत्र को अवैध घोषित किया जायेगा एवं ऐसा करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.

6.6 मतपत्र किसी भी स्थिति में दुबारा जारी नहीं किया जायेगा   .

7. उपर्युक्त के साथ साथ वे सभी प्रावधान नियम दिशानिर्देश भी प्रभावशील होंगे जिनका वर्णन छात्र परिषद विनियम २०११ (संशोधित) की विभिन्न कंडिकाओ में किया गया है कृपया उनका पालन किया जाये.